भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न सं. †515

दिनांक 06.02.2024 को उत्तरार्थ

पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी

† 515. प्रो. रीता बहुगुणा जोशीः

श्री परबतभाई सवाभाई पटेलः

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः

डॉ. हिना विजयकुमार गावीतः

डॉ. सुजय विखे पाटीलः

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिलः

श्री कृष्णपालसिंह यादवः

श्रीमती रंजीता कोलीः

श्री सुमेधानन्द सरस्वतीः

डॉ. मनोज राजोरियाः

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मंत्रालय की महत्वपूर्ण नीतियां और उपलब्धियां क्या हैं;

(ख)सरकार ने पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए क्या उपाय लागू किए हैं अथवा वर्तमान में लागू कर रही है;

(ग)सरकार ने पंचायतों में महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समूहों की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या रणनीतियां लागू की हैं;

(घ)सरकार नागरिकों को सुविधा प्रदान करने और पंचायत प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए ई-गवर्नेंस प्रणाली के विकास की दिशा में किस प्रकार कार्य कर रही है; और

(ङ) इस उद्देश्य के लिए कौन-सी विशिष्ट योजनाएं मौजूद है?

उत्तर

पंचायती राज राज्यमंत्री

(श्री कपिल मोरेश्वर पाटील)

(क) और (ख) पंचायतें मुख्य रूप से राज्य सरकारों की ज़िम्मेदारी हैं क्योंकि "स्थानीय सरकार"राज्य का विषय है। पंचायतें संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों के माध्यम से

गठित की जाती है और संचालित होती हैं। तथापि, पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को स्थानीय शासन, सामाजिक परिवर्तन और स्थानीय आबादी की आकांक्षाओं को पूरा करने वाली सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए एक प्रभावी, कुशल और पारदर्शी माध्यम बनाने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) की प्रमुख पहल/योजनाएं/नीति, इसके अधिदेश के अनुरूप, **अनुबंध** में, उपलब्धियों सहित, प्रस्तुत किया गया है।

(ग) संविधान के अनुच्छेद 243D में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्ग के नागरिकों और महिलाओं के लिए पंचायतों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। 21 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों/नियमों में पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया है।

संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी नागरिकों के लिए, पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 को संविधान के भाग IX के प्रावधानों के विस्तार के लिए अधिनियमित किया गया है। यह अधिनियम आदिवासी संस्कृति और आजीविका के संरक्षण के संबंध में ग्राम सभा को विशेष अधिकार प्रदान करता है।

मंत्रालय महिला सशक्तिकरण और महिला नेतृत्व के मुद्दों पर कार्यशालाओं, सम्मेलनों, समितियों और विशेषज्ञ समूहों की एक श्रृंखला के माध्यम से निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (ईडब्ल्यूआर) के सतत संपर्क में है। इन कार्यशालाओं और बातचीत के दौरान प्राप्त सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुभवों के साथ-साथ विभिन्न समितियों और विशेषज्ञ समूहों द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर मंत्रालय समय-समय पर राज्यों को एड्वाइजरी जारी करता रहा है। मंत्रालय ने ग्राम सभा की बैठकों से पहले अलग-अलग वार्ड सभा और महिला सभा की बैठकें आयोजित करने की सुविधा के लिए राज्यों को एड्वाइजरी भी जारी की है। ग्राम सभा और पंचायत बैठकों में महिलाओं की उपस्थिति और भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्यों को एड्वाइजरी भी जारी की गई है।

इसके अलावा, मंत्रालय ने पंचायतों के ईडब्ल्यूआर की क्षमता विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया है ताकि वे ग्राम पंचायतों में प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें और अपनी नेतृत्व भूमिकाओं का उचित ढंग से निर्वहन कर सकें। मंत्रालय ग्राम पंचायत विकास योजनाओं और पंचायतों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की तैयारी के लिए

ग्राम सभा की बैठकों में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से पंचायतों के कामकाज में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को प्रोत्साहित करता रहा है।

(घ) और (ङ) पंचायती राज मंत्रालय ई-पंचायतों हेतु मिशन मोड परियोजना (एमएमपी-ई-पंचायत) लागू कर रहा है, जो आरजीएसए योजना का एक केंद्रीय घटक है, जिसके तहत पीआरआई के कामकाज में दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के लिए और इसके समग्र परिवर्तन के लिए विभिन्न ई-गवर्नेंस परियोजनाओं को पंचायतों के डिजिटलीकरण की दिशा में वित्त पोषित किया जाता है।

देश भर में पीआरआई के कामकाज को मजबूत करने के लिए, इस मंत्रालय ने एक उपयोगकर्ता के अनुकूल वेब-आधारित पोर्टल ई-ग्रामस्वराज (https://egramswaraj.gov.in) लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य विकेंद्रीकृत योजना, प्रगति रिपोर्टिंग, वित्तीय प्रबंधन, कार्य-आधारित लेखांकन और सृजित संपत्तियों के विवरण में बेहतर पारदर्शिता लाना है। इसके अलावा, पंचायत खातों यानी ग्राम पंचायतों की प्राप्तियों और व्ययों का समय पर ऑडिट सुनिश्चित करने के लिए, इस मंत्रालय ने एक ऑनलाइन एप्लिकेशन - ऑडिटऑनलाइन (https://auditonline.gov.in) शुरू किया है। यह एप्लिकेशन न केवल पंचायत खातों की ऑडिटिंग की सुविधा प्रदान करता है बल्कि ऑडिट रिकॉर्ड को बनाए रखने की भी सुविधा प्रदान करता है। यह एप्लिकेशन ऑडिट पूछताछ, ड्राफ्ट स्थानीय ऑडिट रिपोर्ट, ड्राफ्ट ऑडिट पैरा आदि के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है और इस प्रकार पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार के लिए पंचायतों द्वारा खातों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करता है। ऑडिट अवधि 2021-22 के लिए 2.42 लाख ऑडिट रिपोर्ट तैयार की गई हैं।

मंत्रालय ने ई-ग्रामस्वराज को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के साथ एकीकृत किया है। ई-ग्रामस्वराज-PFMS इंटरफ़ेस (eGSPI) ग्राम पंचायतों को विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय पर भुगतान करने में सक्षम बनाता है। अब तक, eGSPI के माध्यम से 1.74 लाख करोड़ रुपये का लेनदेन किया गया है। पंचायतों को निर्बाध खरीद और लेखांकन अनुभव में सक्षम करने के लिए ई-ग्रामस्वराज को गवर्नमेंट-ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) के साथ भी एकीकृत किया गया है।

अनुबंध

पंचायती राज मंत्रालय की प्रमुख पहल/योजनाएं/नीतियां

<table>
<tr><th>प्रमुख पहल/योजनाएँ/नीति</th><th>उपलब्धि</th></tr>
<tr><td>1.पंचायतों को ग्रामीण आबादी को बुनियादी सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग का अनुदान</td><td>अवार्ड अवधि वर्ष 2021-2026 के लिए अनुशंसित 2,36,805.00 करोड़ रुपये में से 108,636.15 करोड़ रुपये वर्ष 2021-2024 की अवधि के दौरान पंचायतों को जारी किए गए हैं ।</td></tr>
<tr><td>2.पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण की सुविधा के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना</td><td>वर्ष 2018-19 में इस योजना की शुरुआत के बाद से, निर्वाचित प्रतिनिधियों, पंचायत पदाधिकारियों और पंचायतों के अन्य हितधारकों सहित 2.11 करोड़ प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।</td></tr>
<tr><td>3. ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ गांवों का सर्वेक्षण और मानचित्रण (SVAMITVA) की केंद्रीय क्षेत्र योजना, गांवों में घर रखने वाले ग्रामीण परिवारों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करने के लिए, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति मुद्रीकरण की सुविधा प्रदान करने के अलावा, पंचायतों को संपत्ति कर का आकलन और संग्रह करने में राजस्व के अपने स्रोतों को बढ़ाने के अपने प्रयास में सक्षम बनाती है।</td><td>31 जनवरी, 2024 तक लगभग 1.09 लाख गांवों के लिए लगभग 1.75 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं।</td></tr>
<tr><td>4. पीआरआई के बीच प्रतिस्पर्धी भावना को प्रोत्साहित करने के लिए आरजीएसए योजना का एक केंद्रीय घटक, पंचायतों के प्रोत्साहनीकरण की योजना, जिसके तहत सेवाओं और सार्वजनिक भलाई में सुधार के लिए उनके अच्छे काम की मान्यता में</td><td>
<table>
<tr><th>वित्तीय वर्ष</th><th>दिए गए अवार्ड की संख्या</th><th>जारी की गई अवार्ड राशि (राशि करोड़ रुपये में)</th></tr>
<tr><td>2021-22</td><td>314</td><td>52.49</td></tr>
<tr><td>2022-23</td><td>322</td><td>50.19</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को वित्तीय प्रोत्साहन सहित पुरस्कार दिए जाते हैं।	2023-24	42	43.75
5. पंचायतों को उनकी संवैधानिक रूप से अनिवार्य विकास योजनाएं तैयार करने में सक्षम बनाने हेतु विषयगत ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी)	वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान क्रमशः लगभग 2.52 लाख, 2.58 लाख और 2.57 लाख ग्राम पंचायतों या समकक्ष निकायों ने अपनी जीपीडीपी तैयार की है।		
6. पंचायतों और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों को जनता के प्रति सीधे जवाबदेह बनाने के लिए नागरिक चार्टर अभियान	अब तक, लगभग 2.15 लाख ग्राम पंचायतों ने अपने नागरिक चार्टर को अंतिम रूप दे दिया है, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पेयजल और स्वच्छता, लोक कल्याण, रोजगार आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 954 सेवाओं की पेशकश करते हैं।		
7. ग्राम पंचायतों में सभी डिजिटल सेवाओं की डिलीवरी और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एकल पहुंच बिंदु के रूप में सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी)।	अब तक, 47,469 सीएससी को पंचायत भवनों के साथ सह-स्थित किया गया है।		

*****